11/12/24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। प्रार्थना पत्र 212 RTA [illegible] किया [illegible] पृथक [illegible] [illegible] [illegible] गया। नतीजा दर्ज कर दा.द. हो।

निर्णय सुनाया गया।

GCMS 2021/17

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.12 12:34:42 IST
Reason: SelfAttested

फार्म नं0 – 3

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

अनवान – बलवीर सिंह उर्फ बलीसिंह पुत्र हरबन्श सिंह बनाम बलविन्द्रसिंह वगैरह

किस्म मुकदमा– 212 आर.टी.ए. प्रकरण सं0–81 सन् –2021 GCMS:- 2021/17

तारीक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
11.12.2024	पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित संक्षेप में विचारण तथ्य इस प्रकार है वादी द्वारा एक वाद बाबत खाता विभाजन प्रस्तुत कर वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण के पिता पति के नाम से चक 7 एस.जी.एम. खाता सं0 61 नया एंव पुराना 116 में प.नं. 84/362 का किला नं0 5/1 व 5/2 में 0.0380 है0 कुल 0.253 है0 में 1/2 हिस्सा वादी एंव प्रतिवादीगण कब्जा काश्त में है प्रतिवादीगण नं0 1/1 से 1/3 वादी की भूमि कब्जाशुदा को विक्रय करने की फिराक में है वह उस पर कब्जा करना चाहते है इसलिए वाद चलन के दौरान यथास्थिति बनाए रखने हेतु स्थगन की मांग की। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर अप्राथीगण को तलब किया गया व उनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया एकतरफा का आदेश कर तर्क सुने गये। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद चलन के दौरान भूमि का कब्जा परिर्वतन या विक्रय अदालत कि स्वीकृति से ही होना चाहीए। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करने की प्रार्थना की व अपना प्राथमिक रूप से मामला बनना बताया तथा यह भी निवेदन किया कि शपथ पत्र का प्रतिशपथ पत्र नही आया है इसलिए प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकृति योग्य है। तर्क प्रार्थी सुनने के बाद पत्रावली का अवलोकन किया यह सही है की प्रश्नगतः भूमि का वाद प्रस्तुत हो चुका है किन्तु इस मामले में भूमि का तुरन्त विक्रय हो रहा हो ऐसी कोई सम्भावना प्रतित नहीं होती अंकित काश्तकार के विरूद्ध स्थगन मांगा जा रहा है। स्थगन दिये जाने से राजस्व हानि होगी इसलिए स्थगन दिया जाना उचित नहीं है उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त किया जाता है पत्रावली उपरोक्त अनुसार निर्णय शुमार होकर रिकॉर्ड दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Sandeep Kumar Date: 2024.12.12 12:34:42 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	